न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 56 / 2020

सुरेन्द्र चौधरी,जी–52, गोदावरी अपार्टमेंट,सैक्टर 29,प्रतापनगर ,सांगानेर जयपुर ।

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 04.09.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट सुरेन्द्र चौधरी,जी–52, गोदावरी अपार्टमेंट,सैक्टर 29,प्रतापनगर ,सांगानेर जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचना चाही गई थी । जिला रसद अधिकारी,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 430 दिनांक 17.08.2020 के द्वारा जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 1602 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक / 1602 दिनांक 02.09.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 1473 दिनांक 13.08..2020 की प्रति भी भिजवाई गई है,जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो. ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर